समय पर जमा न होने से छात्रवृत्ति से वंचित होगा जिसकी जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी।

टीप :

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के आवेदन-पत्र छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूचना के अनुसार भेजे जाते हैं। इन आवेदन-पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था प्रमुख के माध्यम से संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा को भेजे जाने चाहिए।
2. स्नातक शिष्यवृत्तियाँ संचालक महाविद्यालयीन शिक्षा के आबंटन के आधार पर महाविद्यालय द्वारा स्वीकार की जाती है।
3. अन्य शेष सभी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यम से संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा को निर्धारित तिथि पर भेजा जाना चाहिए।
4. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र महाविद्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।
5. महाविद्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियाँ महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जावेगी।

शारीरिक प्रशिक्षण एवं क्रीड़ा –

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शारीरिक कल्याण मण्डल द्वारा अनुमोदित शारीरिक शिक्षण की व्यवस्था की गई है।

आवश्यक सूचनाएं –

1. प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस विवरण पुस्तिका का भलीभाँति अध्ययन कर महाविद्यालय के नियमों से परिचित हो जावे और तदनुसार आचरण करें।
2. प्रत्येक छात्र एवं छात्रा के लिए प्रवेश कार्ड प्राप्त करना आवश्यक है।
3. महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम समय-समय पर प्रकाशित किए जावेंगे, अतएव प्रत्येक विद्यार्थी सूचना फलक पर अपना विशेष ध्यान रखे।
4. प्राचार्य के आदेश पर कोई भी परिवर्तन किए जा सकते है।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च विभाग

शासकीय महाविद्यालय, भखारा (धमतरी)

विवरण-पुस्तिका

सत्र : 20   -20   से लागू

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 06.08.2009 को इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। महाविद्यालय का उद्देश्य सिर्फ बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कराना ही नहीं है, अपितु विद्यार्थियों के शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास कराना भी है। यह महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध है।

महाविद्यालय में संचालित समस्त कक्षाओं/विषयों के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना अनुसार सम्पन्न होती है। अध्यापन कार्य विश्वविद्यालय एवं छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार किया जाता है।

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी.ए. बी.एस-सी. एवं बी.कॉम. की कक्षायें एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. हिन्दी, अर्थशास्त्र तथा एम. कॉम. की कक्षायें संचालित हैं।
इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में सत्र 2015-16 से सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. की कक्षायें महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के माध्यम से स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित है।

प्रवेश प्रकिया :

महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की प्रकिया छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग की प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार होती है। प्रवेश प्रक्रिया प्रतिवर्ष सामान्यतः शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ शुरू होती है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग की प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि 31 जुलाई निर्धारित होती है। प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर गुणानुक्रम के अनुसार होती है। प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने के दस दिवस तक ली जा सकेगी। प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियमित छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थान शेष रहने पर अनियमित छात्र-छात्राओं को गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दी जावेगी।

प्रवेश हेतु चयनित छात्र/छात्राओं की सूची गुणानुक्रम के आधार पर महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्राप्तांक सहित लगाई जावेगी। प्रवेश हेतु चयनित छात्र-छात्राओं को निर्धारित तिथि तक समस्त शुल्क अदा कर चयनित कक्षा में प्रवेश लेना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कर प्रवेश नहीं लेने पर चयनित छात्र-छात्राओं का चयन स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

प्रवेश हेतु शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

विषय/विषय समूह :-

महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में निम्नानुसार विषयों में अध्यापन होता है :-

1. कला संकाय स्नातक स्तर : 1. अनिवार्य विषय : आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा
   2. ऐच्छिक विषय : 1. अंग्रेजी साहित्य 2. हिन्दी साहित्य 3. अर्थशास्त्र 4. राजनीति विज्ञान 5. भूगोल
   छात्र उपरोक्त पांच विषयों में से कोई तीन विषयों का चयन करें।
2. कला संकाय स्नातकोत्तर स्तर 1. हिन्दी साहित्य 2. अर्थशास्त्र ।
3. विज्ञान संकाय : बायो ग्रुप : 1. अनिवार्य विषय : आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा
   2. ऐच्छिक विषय : 1. रसायन 2. जन्तुविज्ञान 3. वनस्पतिशास्त्र
4. विज्ञान संकाय : गणित समूह : 1. अनिवार्य विषय : आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा
   2. ऐच्छिक विषय : 1. रसायन 2. गणित 3. भौतिक
5. वाणिज्य संकाय स्नातक स्तर : सभी अनिवार्य विषय ।
6. वाणिज्य संकाय स्नातकोत्तर स्तर : एम.कॉम.।

संकायवार/कक्षावार/विषयवार प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट :

महाविद्यालय में उपलब्ध शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर एवं स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में विभिन्न संकायों की कक्षाओं/विषयों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार सीट स्वीकृत किये हैं :

क्र.	कक्षा	उपलब्ध सीट
1.	बी.ए. प्रथम,द्वितीय,तृतीय वर्ष	190
2.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष	70
3.	बी.एस-सी. बॉयो. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष	145
4.	बी.एस-सी. गणित. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष	50
5.	एम.ए. हिन्दी	30
6.	एम.ए. अर्थशास्त्र	30
7.	एम.कॉम.	30
8.	पी.जी.डी.सी.ए.	40
9.	डी.सी.ए.	40

उपरोक्त निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश देना संभव नहीं हो सकेगा।

बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. की अगली कक्षाओं में उस महाविद्यालय से उत्तीर्ण नियमित छात्रों को ही प्रवेश मिल सकेगा। उत्तीर्ण नियमित छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक निर्धारित शुल्क अदा करने पर उनके प्रवेश का स्वयमेव नवीनीकरण हो सकेगा। स्थान रिक्त रहने पर ही अन्य छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु नियमोपनियम-

1. छात्र अपनी उपाधि के लिये जो विषय लेना चाहता है उसका चयन सावधानी से करें। विषय परिवर्तन प्राचार्य की विशेष अनुमति के बिना तथा निश्चित अवधि के पश्चात् संभव नहीं हो सकेगा।
2. प्रवेश संबंधी किसी प्रकार की सूचना व्यक्तिगत रुप से नहीं दी जावेगी प्रवेश

बी.पी.एल. छात्रों को सुविधा -

गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को बुक बैंक की सुविधा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी। प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन के साथ जमा किया जाना चाहिए।

अन्य सुविधा -

छात्र कल्याण निधि से शुल्क सहायता महाविद्यालय में छात्र कल्याण समिति/स्टूडेण्ट्स एंड फंड गठित की गई है, जिसमें प्रतिवर्ष निर्धन और योग्य छात्रों को शुल्क सहायता दी जाती है।

छात्रवृत्तियाँ/शिष्यवृत्तियाँ -

टीप :

1. छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियाँ व शिष्यवृत्तियाँ प्रदान की जाती है जिनका ब्यौरा सूचना फलक पर लगा दिया जाता है। इच्छुक छात्राएँ पात्रतानुसार अपने आवेदन पत्र निर्धारित के पहले भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में दे। आवेदन-पत्र कार्यालय से प्रदान किए जायेंगे अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय की सूचना फलक में सूचित किया जाता है। एक छात्र/छात्रा अन्य छात्रवृति के लिए आवेदन दे सकता है। परंतु उसे छात्रवृत्ति के नियमानुसार केवल एक ही छात्रवृत्ति लेने की पात्रता है।
2. आवेदन-पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में छात्र स्वयं अपने जिम्मेदारी से जमा करें। विलम्ब से या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। इसके लिए महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
3. पात्रता होने पर भी यदि कोई छात्र उपरोक्त सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र नहीं देता है तो इन लाभों से वंचित रह जावेगा।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की स्वीकृति की सूचना छात्रों के महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी। जिसे देखकर छात्र अपनी छात्रवृत्ति कार्यालय से प्राप्त करें।
5. छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए छात्र स्वयं निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर स्वयं अपनी जिम्मेदारी से कार्यालय में जमा करें। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

Scanned by CamScanner

विशेष सूचना-

1. रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय प्रांगण में किसी छात्र/छात्रा को रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। भी प्रकार की रैगिंग करना

2. महाविद्यालय में फर्नीचर, पंखा, बिजली एवं पानी का उपयोग मितव्यतता पूर्वक करें।

3. प्रयोगशाला में नायलोन के वस्त्र पहनकर न जाएँ।

शासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए -

छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत एवं सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययन में पूरी रियायत (केवल प्रथम स्नातक स्तर तक) तथा सभी वर्गों के मृत कर्मचारियों के पुत्रों का अध्ययन शुल्क में पूरी रियायत प्रदान की जावेगी।

यदि छात्र प्रवेश के समय शुल्क रियायत हेतु आवेदन जमा नहीं करेगा तो उसे उससे शुल्क ले लिया जावेगा जो वापस नहीं होगा।

भाई अथवा बहन के कारण सुविधा-

भाई बहन यदि दो या अधिक भाई-बहन एक समय एक ही सत्र में महाविद्यालय में अध्ययन करते हो तो ज्येष्ठ अथवा ज्येष्ठतम को पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करना होगा जबकि अन्य भाई-बहन अर्धशिक्षण शुल्क जमा करा सकेंगे, इस प्रकार की सुविधा पूर्णकालिक नियमित अध्ययनरत छात्र-छात्रा को ही दी जावेगी। प्रवेश लेने के एक माह के भीतर निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करें।

अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों को सुविधा-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के समस्त छात्र-छात्राओं तथा सभी वर्ग की छात्राओं को शासन के निर्देशानुसार; विभिन्न प्रकार की शुल्क छूट प्रदान की जाती है.

तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा शुल्क में रियायत, प्रवेश के लिए 30% स्थान आरक्षित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राओं को शिष्यवृत्तियाँ दी जावेगी। संबंधित छात्र उपरोक्त वृत्तिकाओं के लिए आवेदन सकते है। जिसके जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

के इच्छुक विद्यार्थी को स्वयं इस विषय की जानकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड से प्राप्त करनी चाहिए।

3. प्रवेश संबंधी प्रकरणों में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।
4. छात्रों की उपस्थिति की गणना महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं के प्रारंभ होने की तारीख से गिनी जावेगी। छात्र का प्रवेश लेने की तारीख से उपस्थिति में छूट की कोई सुविधा नहीं दी जावेगी विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी का अपनी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा नहीं दे सकेंगे।
5. प्रत्येक विद्यार्थी को रविशंकर विश्वविद्यालय में अपना पंजीयन (Enrollment) कराना आवश्यक है और जो विद्यार्थी नहीं करा सकेंगे, चाहे कारण कुछ भी क्यों न हो उसको विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी और उसके द्वारा प्रदत्त विश्वविद्यालय शुल्क भी वापस नहीं दिया जायेगा। महाविद्यालय इस प्रकार की किसी असुविधा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. स्नातक स्तर पर एक निकाय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को दूसरे निकाय में प्रवेश पाने की सुविधा स्थान रिक्त होने पर एक बार दी जावेगी।
7. हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अथवा उसके समकक्ष में पूरक घोषित किया हो उसे प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
8. जिन छात्र-छात्राओं ने किसी सत्र में किसी कक्षा में एक बार प्रवेश लेकर महाविद्यालय छोड़ दिये हैं उन्हें उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
9. जिन छात्रों की विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के कारण रिपोर्ट की गई हो ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किए जाने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
10. जिन छात्रों के विरुद्ध महाविद्यालय में संबंधित गंभीर आपराधिक अथवा अनैतिक प्रकरण अथवा परीक्षा संबंधी प्रकरण पुलिस अथवा न्यायालय में लम्बित हो, प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
11. जिन छात्रों ने परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया हो प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
12. जो छात्र इस महाविद्यालय में प्रवेश लेकर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित न हुए हो

Scanned by CamScanner

उन्हें जब तक वह उस कक्षा को पास नहीं कर लेते तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

13. उन छात्रों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जावेगा, जिनके विरूद्ध महाविद्यालय के शिक्षक परिषद के द्वारा सर्वानुमति प्रवेश न देने संबंधी निर्णय लिया हो।

14. बी.ए. तथा बी.एस.सी. प्रथम वर्ष हेतु भखारा तथा निकटवर्ती पोषक शालाओं क्षेत्र के निवासियों के ही प्रवेश आवेदन स्वीकार किये जाएंगे।

15. किसी कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति की अनुशंसा अनिवार्य है। यदि उक्त नियम के विरूध्द किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश त्रुटिवश हो जाता है, तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

16. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की अधिकतम संख्या प्रवेश हेतु गठित प्राध्यापक की उपसमिति निर्धारित करेगी।

17. समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित प्रवेश नियम प्रभावशील होगा।

18. आवेदन-पत्र अपूर्ण होने पर निरस्त कर दिया जावेगा, जिसके लिए महाविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

प्रवेश हेतु अर्हता :-

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के निर्देशानुसार होगा।

महत्वपूर्ण सूचना :- 1. छ.ग. बोर्ड अथवा रविशंकर विश्वविद्यालय के अलावा अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र को प्रवजन प्रमाण-पत्र एवं पात्रता प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

2. महाविद्यालय में छात्रों को दिया गया प्रवेश जब तक रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता न हो तब तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

प्रवेश आवेदन पत्र-

आवेदन पत्र स्वयं छात्र द्वारा भरा जाना चाहिए तथा पिता या पालक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन निरस्त किए जा सकेंगे।

दिन छुट्टी हो तो आगामी कार्य दिवस में ग्रंथ देय है।

7. ग्रंथ के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर विद्यार्थी का दायित्व होगा कि वे उस ग्रंथ की नई प्रति ग्रंथालय में जमा करें यदि ऐसा नहीं करते तो उसे ग्रंथ की कीमत के साथ आर्थिक दण्ड देना होगा जो प्राचार्य द्वारा उसी समय निर्धारित किया जावेगा।

8. प्राचार्य को यह विशेषाधिकार है कि वह किसी विद्यार्थी को ग्रंथ प्राप्त करने से निषिद्ध कर सकता है। ग्रंथालय का प्रत्येक ग्रंथ विद्यार्थियों की निधि है, इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है।

10. अ.जा., अ.ज.जा. एवं बी.पी.एल. वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु शासन के नियमानुसार बुक बैंक की सुविधा है।

वाचनालय (Reading room)

1. पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन किया जा सकता है।
2. किसी पत्र-पत्रिका या पाक्षिक पत्रों को ग्रंथालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।
3. किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर पूर्ति विद्यार्थियों को करनी पड़ेगी।
4. पत्रिकाओं की पुरानी प्रतियाँ ग्रंथालय की अनुमति से प्राप्त हो सकेगी एक समय में एक ही प्रति मिलेगी।
5. वाचनालय और ग्रंथालय में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना अनिवार्य है

राष्ट्रीय सेवा योजना-

महाविद्यालय में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबंध्द राष्टीय सेवा योजना की 100 स्वयंसेवकों की एक इकाई कार्यरत है।

। प्राचार्य की अध्यक्षता में इस योजना का संचालन का कार्य किया जाता है।

परिचय पत्र-

प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए परिचय-पत्र बनवाना अनिवार्य है। जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटो लगाना अनिवार्य है।

छात्र/छात्राएँ अपने परिचय-पत्र सावधानी पूर्वक रखें। सामान्यतः परिचय-पत्र दोबारा नहीं दिये जाते। विशेष परिस्थिति में परिचय-पत्र खो जाने पर शपथ-पत्र के आधार पर दोबारा दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है।

Scanned by CamScanner

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार महाविद्यालय में निम्नानुसार परीक्षायें सम्पन्न होंगी।

युनिट टेस्ट	1 ली युनिट	अगस्त
	2 री युनिट	सितम्बर
तिमाही परीक्षा		अक्टूबर
	3 री युनिट	नवम्बर
	4 थी युनिट	दिसम्बर
	5 वीं युनिट	जनवरी
छमाही परीक्षा		जनवरी (प्रथम सप्ताह)
प्री फाइनल परीक्षा		फरवरी

ग्रन्थालय

महाविद्यालय के ग्रन्थालय में विभिन्न विषयों के बारह हजार से भी अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। समय-समय पर आवश्यकतानुसार शासन से प्राप्त आवंटन के अनुसार पुस्तकें क्रय की जाती हैं। महाविद्यालय के ग्रन्थालय में विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों के अतिरिक्त निर्देश ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। महाविद्यालय के वाचनालय हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पत्र-पत्रिकायें नियमित रूप से क्रय की जाती हैं।

नियम-

1. रविवार और अन्य अवकाश दिवसों में ग्रन्थालय बन्द रहेगा। अन्य दिनों व विशिष्ट दिनों/समय में खुला रहेगा।
2. समय-समय पर ग्रंथालय की सूचना और ज्ञापन द्वारा प्राप्त करने की तिथि और समय ज्ञापित होता रहेगा।
3. पुस्तक किसी भी शर्त पर एक विद्यार्थी किसी अन्य व्यक्ति या विद्यार्थी को नहीं दे सकता।
4. निर्धारित तिथि को पुस्तक ग्रंथालय में न लौटाने पर आर्थिक दण्ड देना होगा यह राशि 50 पैसे प्रतिदिन है।
5. ग्रंथालय कार्ड खो जाने या नष्ट होने पर 10.00 रु. आर्थिक दण्ड देने पर दुबारा बनाया जायेगा।
6. वह आचरण कदापि क्षम्य नहीं होगा कि महाविद्यालय में उपस्थित न होने पर ग्रंथालय की पुस्तकें लौटाने में विलम्ब हो रहा है। यदि निर्धारित तिथि के

नये प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को (प्रवेश नवीनीकरण को छोड़कर) प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ पासपोर्ट साईज की फोटो लगानी होगी। जिसे आवेदन पत्र में चिपकानी होगी। पूर्ण आवेदन स्वीकृत होने पर प्रवेश अधिकारी के समक्ष अभिभावक/पिता को हस्ताक्षर करने होंगे तभी प्रवेश-पत्र जारी होगा। प्रवेश प्राप्त करने वाले नियमित छात्र को प्रवेश लेने पर परिचय-पत्र जारी किया जावेगा जिस पर फोटो चिपकाकर विवरण सहित प्राचार्य के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करना होगा।

विशेष :

प्रवेश आवेदन फार्म के साथ आवेदक निम्नालिखित प्रमाणपत्रों की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें :- 1. छात्र-छात्रा जिस संस्था में अध्ययनरत था, उस संस्था द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (Original Transfar Certificate)

2. पिछली परीक्षा की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंक सूची आवश्यक रुप से जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा जो तुरन्त बापस कर दी जावेगी।
3. प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) उन छात्रों के लिए जो रविशंकर विश्वविद्यालय या छ.ग. शिक्षा मण्डल रायपुर से संबंधित किसी भी संस्था का छात्र न रहा हो।
4. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण-पत्र।
5. जो छात्र स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रुप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो उसे किन्ही दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
6. माता-पिता पालक का आय प्रमाण-पत्र (मूल प्रमाण-पत्र) संलग्न करें।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8. जिन छात्रों के माता-पिता छ.ग. के तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कार्यरत कर्मचारी या सेवा निवृत्त कर्मचारी तथा सभी वर्ग के मृतक शासकीय कर्मचारी हो या उनके अधिकारी से तत्संबंधी प्रमाण-पत्र देना होगा। दिए प्रमाण-पत्र में कर्मचारी की श्रेणी, वेतन तथा छात्र का कर्मचारी के पुत्र होने का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ऐसे छात्र फ्रीशिप के लिए प्रवेश के

Scanned by CamScanner

समय निर्धारित प्रवेश फार्म पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। यदि छात्र शिक्षण शुल्क छूट हेतु प्रमाण-पत्र, आवेदन पत्र के साथ किन्ही कारणवश जमा नहीं कर सकेंगे वे अनिवार्य रुप से प्रवेश राशि जमा करते समय रियायत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। शिक्षण शुल्क में रियायत की सुविधा प्रमाण जमा करने की तिथि में ही मान्य होगी।

9. सेवारत छात्र को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. विदेशी छात्र तथा ऐसे छात्र को जो टूरिस्ट वीसा लेकर भारत आया हो उन्हें प्रवेश प्राप्त करने से पहले अपर सचिव केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत शासन के पत्रानुसार आवश्यक योग्यता प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा तथा अपने आवेदन पत्र भारत शासन अथवा विदेशों से भारतीय दूतावास के माध्यम से लाने होंगे।

सूचना -

1. छात्र/छात्रा को सलाह दी जाती है कि कार्यालय में दिए जाने वाले समस्त मूल प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित रखें।
2. उपर्युक्त कंडिका क्रमांक 7, 8 एवं 9 के प्रमाण-पत्र, प्रवेश-पत्र के साथ नहीं दिए जाने पर सुविधा से संबंधित छात्र वंचित रहेगा।

प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि किसी भी छात्र का नाम महाविद्यालय की सूची से हटा **दे यदि -**

1. वे महाविद्यालय की बकाया राशि निर्धारित तिथि के अन्त तक चुकाने में असमर्थ है।
2. छात्र महाविद्यालय की कक्षा में लगातार अनुपस्थित रहा है।
3. छात्र का व्यवहार यदि प्राचार्य की दृष्टि से असंतोष जनक हो।

शुल्क एवं शुल्क सम्बन्धी नियम -

1. छात्र/छात्रा जिसे महाविद्यालय में प्रवेश मिल चुका है, उसे सम्पूर्ण सत्र का शिक्षण शुल्क एक मुश्त प्रवेश के समय देना होगा।
2. शिक्षा शुल्क व अन्य शुल्क की राशि परिवर्तनीय संबंधी सभी आदेश अनिवार्य

प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत जानकारी देगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

Scanned by CamScanner

3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
8. वह अपनी माँगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी माँगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम –

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी । अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा ।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा

रुप से मानने होंगे ।

3. छात्राओं को शासन के निर्देशानुसार शिक्षण शुल्क में रियायत होगी ।
4. निश्चित तिथि में देय शुल्क पटाना चाहिए यदि उस दिन महाविद्यालय की छुट्टी हो तो आगामी दिवस को शुल्क देय होगो । प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित शुल्क पटाने की अंतिम तिथि संबंधी जानकारी सूचना पटल पर लगा दी जावेगी ।
5. देय शुल्क और देय दण्ड यदि जमा नहीं किया जावेगा तो नियम उल्लंघन करने वाले का नाम महाविद्यालय से काट दिया जावेगा ।
6. पुनः प्रवेश हेतु प्राचार्य की अनुमति के साथ 20.00 रु. प्रवेश शुल्क देना होगा ।
7. महाविद्यालय में सानुमति अथवा बिना अनुमति की अनुपस्थिति उक्त नियमों के उल्लंघन से बचाव का कोई कारण नहीं होगा ।
8. एक बार शुल्क देने के बाद प्रत्यार्पण (Refund) नहीं होगा ।
9. अनुशासनात्मक एवं अन्य दण्डों का भुगतान छात्र द्वारा देय होगा ।

शासकीय महाविद्यालयों की शासकीय एवं अशासकीय शुल्कों का वितरण

शासकीय शुल्क –

1.	शिक्षण शुल्क	
	(अ) समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएँ	115.00
2.	प्रवेश शुल्क	3.00
3.	प्रायोगिक शुल्क	20.00

अशासकीय शुल्क –

1.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	50.00
2.	विश्वविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
3.	छात्र संघ शुल्क	2.00
4.	परिचय पत्र	5.00
5.	सायकल स्टैण्ड	20.00
6.	चिकित्सा शुल्क	3.00

Scanned by CamScanner

7.	छात्र कामन रुम (वाचनालय) शुल्क	20.00
8.	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
9.	अप्रवासन शुल्क (माइग्रेशन)	300.00
10.	धरोहर राशि स्नातक 60.00 रू. स्नातकोत्तर	100.00
11.	निर्धन छात्र कल्याण निधि	5.00
12.	सम्मिलित निधि शुल्क	20.00
13.	क्रीड़ा शुल्क	12.00
14.	सोशल गेदरिंग	25.00
15.	महाविद्यालय पत्रिका	40.00
16.	युवा उत्सव	25.00
17.	रेडक्रास	25.00
18.	महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00
19.	जन भागीदारी शुल्क 400.00	21. विलम्ब शुल्क पी.जी.डी.सी.ए. 10000.00
20.	आंतरिक परीक्षा शुल्क 100.00	डी.सी.ए. 6000.00

नोट : शुल्क समय - समय पर परिवर्तनीय है।

धरोहर राशि (अमानत) प्राप्त करने के लिए :-

1. धरोहर राशि निकालने के लिए निर्धारित आवेदन पूर्ण रुप से भरकर माता/पिता/पालक के हस्ताक्षर सहित महाविद्यालय में 15 दिन पूर्व जमा करें।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र (T.C.) प्राप्त करने के बाद ही कॉशनमनी (C.M.) राशि दी जावेगी।
3. मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति शनिवार को किया जायेगा।
5. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के 2 वर्ष के अन्दर कॉशनमनी वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा। 2 वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार कॉशनमनी वापस नहीं की जावेगी तथा छात्र की कॉशनमनी शासन के आदेशानुसार शासकीय कोष में जमा की जायेगी। शुल्क प्राप्ति का कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 1.30 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस तक रहेगा। पटाई गई राशि की रसीद सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर प्रस्तुत करें।

आवश्यक सूचनाएँ –

1. महाविद्यालय में प्रवेश के बाद प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्र को अपने निर्णय की पूर्व लिखित रुप से सूचना देना होगा।
2. महाविद्यालय के समस्त शुल्क एवं 10.00 रु. की अतिरिक्त राशि पटानी होगी।
3. रविशंकर विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए उसके नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 75% उपस्थिति प्राप्त करनी होगी। उपस्थिति का वही प्रतिशत एन.सी.सी. तथा प्रायोगिक अध्ययन में भी आवश्यक होगी। 75% से कम उपस्थिति रहने पर विश्वविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा में नियमित छात्र के रुप में परीक्षा देने की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्रों को देय छात्रवृत्ति भी रोकी जा सकेगी।
4. विद्यार्थियों का सभी प्रकार की कम से कम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा। प्राचार्य की आज्ञा के बिना अनुपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के प्रति अनुशासन की कार्यवाही की जावेगी एवं अर्धदण्ड दिया जावेगा।
5. प्राचार्य को विशेषाधिकार है कि इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट होने से रोक देवें।
6. उपस्थिति आदि की जानकारी प्राप्त करना स्वयं विद्यार्थियों की जिम्मेदारी होगी। महाविद्यालय कार्यालय इस हेतु बाध्य नहीं होगा कि अनुपस्थिति की सूचना अभिभावकों को दे।

छात्रों/छात्राओं के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम –

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner